



2026:AHC:29952

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट - ए सं. - 2010 सन् 2026

राम मूर्ति पाल
बनाम

.....याचिकाकर्ता(गण)

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता(गण)	: राकेश कुमार
प्रतिवादी के अधिवक्ता(गण)	: सी.एस.सी.

न्यायालय सं. - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री राकेश कुमार और विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर.एस. उमराव को सुना।
2. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसे 4.2.1980 को लेखपाल के रूप में नियुक्त किया गया था और 31.10.2016 को सेवानिवृत्त हुआ था। याचिकाकर्ता ब्याज सहित दिनांक 01.05.2012 के सरकारी आदेश के अनुसार वार्षिक वेतन वृद्धि के भुगतान का दावा करता है।
3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान रिट याचिका वर्ष 2026 में दायर की गई है, जबकि याचिकाकर्ता वर्ष 2016 में सेवानिवृत्त हुए थे; इसलिए, याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करते समय, सक्षम प्राधिकारी देरी और लापरवाही के पहलू की भी जांच करेगा।
4. बार में इस प्रकार की गई प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण रिट याचिकाकर्ता को रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और प्रतिवादी संख्या 2/जिला मजिस्ट्रेट, संत रविदास नगर (भदोही) के समक्ष आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक व्यापक प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता देने का निर्देश देने के लिए किया गया है, जो उक्त प्रस्ताव पर चार की अवधि के भीतर कानून के अनुसार ऋषिभाई जगदीशचंद्र पाठक बनाम भावनगर नगर निगम, जेटी **2022 (5) एससी 470** में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तारीख से चार महीनों में सख्ती से रिट याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करने के लिए आगे बढ़ेगा।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

फरवरी 11, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"